न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम०पी०–54/2018 धारा–144 द०प्र०सं०

काली मुण्डा .....प्रथम पक्ष

बनाम

मोसमात विनती देवी .....द्वितीय पक्ष

	आदेश	
09/07/2020	प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विपक्षी के द्वारा निम्न भूमि को जोर–जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। फलस्वरूप शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाय। विवादित भूमि विवरणी मौजा–तिलाईमार्चा थाना–बुण्डू, थाना संख्या–22 खाता सं० प्लॉट सं० रकवा 09 23 14 डी० 24 29 डी० चौहदी उ०–गांधीराम मुण्डा, द०–रास्ता पू०–रास्ता प०–जगन्नाथ मुण्डा अंचल अधिकारी बुण्डू एवं थाना प्रभारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्न उल्लेख किये हैं:– 1. यह है कि वर्णित जायदाद मौजा–तिलाईमार्चा थाना–बुण्डू, थाना संख्या–22 खाता संख्या–9 आर0एस0 सर्वे के खतियानी रैयत धनसिंह मुण्डारी वल्द चुड़तु मुण्डारी के नाम से दर्ज है। जिसका नावल्द मृत्यु हो चुका है। 2. यह है कि खतियानी रैयत धनसिंह मुण्डारी वल्द चुड़तु मुण्डारी के नाम से आर० एस० सर्वे में मौजा– रेलाडीह थाना–बुण्डू थाना संख्या–24 खाता संख्या–155 वकास्त मालिक दर्ज है। 3. यह है कि खतियानी रैयत धनसिंह मुण्डारी के नाम से आर० एस० सर्वे में मौजा–रेलाडीह थाना–बुण्डू थाना संख्या–24 खाता संख्या–167 और गैरमजरूआ खास दर्ज है। जो कि खतियान रैयत धनसिंह मुण्डा का सर्वे खाता संख्या–9, 155, 167 बना था, जिसका नावल्द मृत्यु हो चुका है। 4. यह है कि खाता संख्या–155, 167 भी जमीन पर हक पाने हेतु बँटवारा वाद संख्या–90/131/1974–75 गुवा सिंह वगैरह बनाम् काली मुण्डा वगैरह के बीच सब,जज न्यायालय राँची में वाद चला था। जो कि संपूर्ण जमीन का हक प्रथम पक्ष काली मुण्डा को नजदीकी भैयाद घोषित किया गया एवं धनसिंह मुण्डा की नावल्द संपति का हक मिल गया। पारित आदेश के आलोक में गुवा मुण्डा वगैरह ने काली मुण्डा वगैरह के बीच टी0 ए0 वाद संख्या–110/63/1976–78 न्याय आयुक्त राँची में अपील वाद दायर किया गया। परन्तु आईटल अपील में भी प्रथम पक्ष काली मुण्डा के पक्ष मे फैसला पारित किया गया। 5. यह है कि 1थम पक्ष के नजदीकी भैयाद लखीराम मुण्डा की पत्नी मोसमसत मधु मुण्डारी के नाम से आर० एस० सर्वे में मौजा–रेलरडीह, थाना–बुण्डू, थाना सं०–24	

09/07/2020

खाता संख्या–172 वकास्त मालिक दर्ज है। इसकी भी नावल्द मृत्यु हो चुका है। उक्त जमीन का प्रथम पक्ष काली मुण्डा का बनता है, जो वाद संख्या–एम0 पी0 54/19 में कुर्सीनामा के अनुसार नजदीकी मैयाद में आते है। द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा के पारा–7, 8, 9, 10 में जो भी दावा कर रहे है। बिलकुल गलत है।

6. यह है कि द्वितीय पक्ष वंशज नाम लगान पानेवाला जमीन्दर है। जमीन नावल्द होने पर जमीन्दार द्वारा जमीन कब्जे में लाने हेतु छोटानागपुर काश्कारी अधिनियम की ध ारा–73 के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर जमीन का मालिकाना हक प्राप्तकर्ता जो कभी नहीं किया न व्यवहार न्यायालय के वाद संख–पी0 एस0 90/31/1974–75 मे पक्षकार बना और अपना दावा पेश किया।

7. यह है कि द्वितीय पक्ष के पति जय संह मुण्डा जमीन्दार द्वारा प्रथम पक्ष काली मुण्डा के नाम से खाता संख्या–9 रकवा–1 एकड़ 10 डीसमील जमीन का मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया है।

8. यह है कि द्वितीय पक्ष नावल्द जमीन का हक पाने का अधिकार नहीं है, केवल जमीन का लगान पाने का हक है। प्रथम पक्ष काली मुण्डा नावल्द संपति पर हक पाने हेतु सक्षम न्यायालय से हक प्राप्त है। उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। खाता संख्या–9, 155, 167, 172 संपूर्ण नावल्द खाता का हकदार प्रथम पक्ष काली मुण्डा है।

9. यह है कि विवादित जमीन खाता संख्या–9 प्लॉट संख्या–23, 24 रकवा–14 डी०, 29 डी० जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार होते चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को हड़पना चाहते है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथो ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

<u>द्वितीय पक्ष</u>

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. यह है कि द्वितीय पक्ष को विधवा महिला समझकर उसके जमीन को हड़पने की नियत से प्रथम पक्ष के द्वारा वाद दायर किया गया है जो खारिज करने योग्य है।

2. प्रथम पक्ष के आवेदन के पारा 5 के अनुसार विवादित जमीन मौजा–तिलैयमार्चा, थाना–बुण्डू, जिला–राँची के विवादित जमीन का खाता सं०–09 और प्लॉट सं०–23 रकवा–14 डिसमील, प्लॉट सं०–24, रकवा–29 डिसमील है।

यह है कि प्लॉट सं०–23 के आर० एस० खतियान में मकान सहन दर्ज है तथा प्लॉट सं०–24 घर बाड़ी दर्ज है। वर्णित जायदाद आर० एस० खतियान में ध ान सिंह मुण्डारी वल्द चुनरी मुण्डारी के नाम से दर्ज है। तथा नाम लगान पाने वाला गोंझू राय मुण्डा खेवट सं०–03 दर्ज है।

3. यह है कि खतियानी रैयत धन सिंह मुण्डारी के नावल्द मृत्यु के पश्चात उपर्युक्त खाता सं०–10 का सारा जमीन जमीनदार गोंझू राय मुण्डा के पास चला गया। द्वितीय पक्ष गोंझू राय मुण्डा के वंशज हैं। एवं द्वितीय पक्ष के पूर्वज गोंझू राय मुण्डा के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी दखलकार चले आ रहे हैं। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का आवासीय मकान बना हुआ है। साथ द्वितीय पक्ष का एक शौचालय, कुआँ तथा खलियान भी है। प्रथम पक्ष गलत वंशावली के आधार पर विवादित जमीन को हड़पना चाहता है। वास्तव में प्रथम पक्ष के जमीन का खाता नं०–34 है जो आर०एस० खतियान में नाना सार मुण्डारी वल्द कुंजल मुण्डारी वो कुंजल मुण्डारी वल्द बहादूर मुण्डारी के नाम से दर्ज है।

09/07/2020

4. यह है कि द्वितीय पक्ष के सदस्य गांव के जमीनदार हैं तथा सम्पूर्ण मौजा का शेष सरकार को अदा करते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया गया है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन मौजा–तिलैयमार्चा थाना–बुण्डू के खाता सं०–09 प्लॉट सं०–23 आर०एस० खतियान में मकान सहन दर्ज है एवं प्लॉट सं०–24 घरबाड़ी दर्ज है। मकान सहन एवं घरबाड़ी पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करना संभव नहीं है। अतएव वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधति।

9/7/20

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

9/7/20

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।